बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0 सं0–3/आ0वि0(संधा0)–01–04/2016– 53

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उप निदेशक (मुख्यालय),
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक –28.10.16

विषय : वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना अन्तर्गत प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में वर्ग–6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण हेतु ₹51,825/– (एकावन हजार आठ सौ पच्चीस) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना अन्तर्गत प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में वर्ग–6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण के भुगतान हेतु ₹51,825/– (एकावन हजार आठ सौ पच्चीस) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैर योजना आय–व्यय शीर्ष भाग संख्या–44–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0003 आवसीय विद्यालय विषय शीर्ष–1601–प्रकाशन एवं मुद्रण, विपत्र कोर्ड संख्या–N2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (मुख्यालय), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होगें एवं इसके नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होगें।

4. वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–एम0–4 05/98–2607/ बि0(2), दिनांक–20.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5762, दिनांक–07.10.2016 द्वारा आवासीय विद्यालयों में वर्ग–6 में नामाकंन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण एवं पैकिंग के लिए किया जाएगा।

6. संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

(c) manishDEO

7. आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. व्यय के पश्चात राशि के वचत का प्रत्यर्पण समेकित रूप से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / आ0वि0(संधा0)–01–04 / 2016– 53 पटना, दिनांक– 28.10.16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना / कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषांगार, सिंचाई भवन, पटना / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में) / सांख्यिकी कोषांग, बजट ,शाखा / आई0टी0 मेनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.10.16
सरकार के सचिव।

(c) manishDEO